न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोक)

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र– 17/2018

निर्णय दिनांकः–06.06.2018

रामबिलास पुत्र गोपी जाति धाकड निवासी नाहरा तहसील उनियारा जिला टोक

–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

– प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री बैणीप्रसाद मीना, वकील प्रार्थी

पेरोकार सरकार प्रतिपक्षी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि खाता संख्या 43 कुल किता 11 रकबा 4.57 है0 हिस्सा 1/5 वाके ग्राम नाहरा तहसील उनियारा जिला टोक मे स्थित है।

उक्त आराजीयात प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की पुश्तेनी आराजीयात है। प्रार्थी का नाम रामबिलास है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे सहवन से रामकिशन हो रखा है, जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व अन्य राजस्व रिकॉर्ड इत्यादि मे भी रामबिलास पुत्र गोपी धाकड ही है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र गोपी के स्थान पर रामबिलास पुत्र गोपी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी तहसीलदार उनियारा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार उनियारा ने अपने जवाब मे बताया कि दस्तावेजात के आधार पर राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजात मे नाम पृथक–पृथक होना सही है। उक्त नाम दुरूस्त करने से किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नही होता है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खाता संख्या 43 ग्राम नाहरा मे प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र गोपी के स्थान पर रामबिलास पुत्र गोपी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर दिया जावे। जिससे किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नही होता है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर दिया जावे। जिससे किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नही होता है।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण मे दिये गये जवाब व बहस का मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझता है। अतः तहसीलदार उनियारा को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी खाता संख्या 43 ग्राम नाहरा मे प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र गोपी के स्थान पर रामबिलास पुत्र गोपी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।पत्रवावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दफ्तर दाखिल किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उप खण्ड अधि
उनियारा

Scanned by CamScanner